Options in Aged Care
वृद्धो की देखभाल के विकल्प

English / Hindi

This information was compiled by the Centre for Cultural Diversity in Ageing 2008.

यह जानकारी वृद्धावस्था में सांस्कृतिक विविधता केन्द्र (सैंटर फार कल्चरल डाइवेरसिटी इन एजिंग) द्वारा 2008 में एकत्रित की गई थी।

©Centre for Cultural Diversity in Ageing 2008.

Options in Aged Care

There are many types of aged care services, but finding out what options are available to you or your family member can be confusing. This information provides an overview of aged care services and how you can access them, along with some useful contact numbers. It describes three types of government-subsidised aged care services:

- **Community Care**
- **Respite Care**
- **Residential Care**

Even if you do not require these services now, it is important to know what is available so you can plan for any care needs that you may have in the future.

वृद्धो की देखभाल के विकल्प

वृद्धाश्रम की कई प्रकार की सेवायें हैं, लेकिन आपके अथवा आपके परिवार के लिये कौन से विकल्प उपलब्ध है, यह ढूंढना उलझन भरा हो सकता है। इस विवरणिका में उपयुक्त फोन नम्बरों के साथ वृद्धाश्रम की सेवाओं के बारे में व आप उनका उपयोग कैसे कर सकते है की जानकारी मिलती है। इसमें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त तीन तरह की वृद्धाश्रम सेवाओं का वर्णन है जिसमें:

- **सामुदायिक देखभाल (Community Care)**
- **अल्पकालीन देखभाल (Respite Care)**
- **वृद्धाश्रम देखभाल (Residential Care)**

भले ही अभी आपको इन सेवाओं की जरूरत नहीं है यह जानना कि कौन सी सेवाएँ उपलब्ध है महत्वपूर्ण हो सकता है ताकि आप भविष्य में किसी तरह की सहायता की आवश्यक्ता की योजना बना सके।

Community Care

Most older people prefer to continue living in their own home, but some people may find this difficult to do without assistance. There are a number of aged care services that help older people to continue living in their own home. This type of care is known as 'Community Care' and there are four different options, depending on your needs:

Home and Community Care (HACC)

Home and Community Care provides basic support services for frail aged people who are experiencing difficulties managing daily tasks but who wish to continue living independently at home.

Services may include: nursing and allied health services, personal care (assistance with bathing, dressing and eating), Meals on Wheels and other food services, home help (assistance with housework, laundry and shopping), home modification and maintenance, transport, counselling and social support. Home and Community Care services are usually provided by local councils, community health centres and community organisations.

सामुदायिक देखभाल (Community Care)

अधिकतर वृद्ध लोग अपने घर में जीवन यापन करना पसंद करते है, लेकिन कुछ लोगों के लिये बिना सहायता के ऐसा करना कठिन हो सकता है। इस प्रकार की कई वृद्ध देखभाल सेवायें उपलब्ध है जो लोगों को उनके अपने घर में जीवनयापन करने में सहायता करती है। इस तरह की सेवाओं को 'सामुदायिक देखभाल' कहते है और आपकी आवश्यक्ता के अनुसार 4 प्रकार के विभिन्न विकल्प उपलब्ध है:

गृह और सामुदायिक देखभाल (Home and Community Care - HACC)

गृह और सामुदायिक देखभाल दुर्बल वृद्ध लोगों को मूल रूप से सहायता प्रदान करती है जो दैनिक जीवन कार्यों में कठिनाईयों का सामना करते है लेकिन जो अपने घर में स्वतंत्र जीवनयापन करना चाहते है। इनमें शामिल है: नर्सिंग व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें, व्यक्तिगत सहायता (नहाने, कपड़े पहनने व खाने में सहायता), मील्स् ऑन व्हील्स् व अन्य भोजन सम्बन्धित सेवायें, घरेलू सहायता (घर के काम, कपड़े धोने व खरीदारी में सहायता), घर के बदलाव व रख-रखाव, यातायात, विचार-विमर्श करने व सामाजिक सहायता। गृह और सामुदायिक देखभाल साधारणत: स्थानीय परिषदों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एंव सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं।

Community Aged Care Packages (CACP)

Community Aged Care Packages provide services to frail aged people with more complex care needs, or who require a greater range of services to help them continue living at home.

The packages of services are flexible and designed to suit individual needs, and may include: personal care (assistance with bathing, dressing and eating), meal preparation, home help (assistance with housework, laundry and shopping), gardening, transport and social support. These services are planned and coordinated by an approved aged care service provider. Eligibility for Community Aged Care Packages is determined by an *Aged Care Assessment Team* (see page 9).

सामुदायिक वृद्ध-देखभाल पैकेज (Community Aged Care Packages - CACP)

सामुदायिक वृद्ध-देखभाल पैकेज अधिक जटिल सेवा की जरूरत वाले दुर्बल वृद्ध लोगों या जिनको अपने घर में जीवन यापन करने के लिये अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यक्ता है को सहायता प्रदान करती हैं। सेवा के पैकेज अनुकूलनशील है व व्यक्तिगत आवश्यक्ताओं के उपयुक्त है। इनमें शामिल है: व्यक्तिगत देखभाल (नहाने, कपड़े पहनने व भोजन में सहायता), खाना बनाना, घरेलू कार्यों में सहायता (घर के काम, कपड़े धोने व खरीदारी में सहायता), बागवानी, यातायात व सामाजिक सहायता। यह सेवायें एक मान्यता प्राप्त वृद्ध सेवा प्रदाता द्वारा योजित व संयोजित की जाती है। सामुदायिक वृद्ध-देखभाल पैकेज के लिये योग्यता वृद्ध-देखभाल आकलन टीम द्वारा निर्धारित की जाती है। (पन्ना 9 देखें)

Extended Aged Care at Home Packages (EACH)

Extended Aged Care at Home Packages provide services to people who need more help than a Community Aged Care Package can provide.

The packages of services are flexible and designed to suit individual needs, and may include: nursing and allied health services, personal care (assistance with bathing, dressing and eating), home help (assistance with housework, laundry and shopping), transport and social support. These services are planned and coordinated by an approved aged care service provider. Eligibility for Extended Aged Care at Home Packages is determined by an *Aged Care Assessment Team* (see page 9).

गृह में विस्तृत वृद्ध-देखभाल पैकेज (Extended Aged Care at Home Packages -EACH)

गृह में विस्तृत वृद्ध-देखभाल पैकेज उन लोगों को सेवा प्रदान करते है जिनको सामुदायिक वृद्ध-देखभाल पैकेज - **CACP** द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से अधिक सहायता की आवश्यक्ता है। सेवा के पैकेज अनुकूलनशील है व व्यक्तिगत आवश्यक्ताओं के उपयुक्त है। इनमें शामिल है: व्यक्तिगत देखभाल (नहाने, कपड़े पहनने व भोजन में सहायता), खाना बनाना, घरेलू कार्यों में सहायता (घर के काम, कपड़े धोने व खरीदारी में सहायता), बागवानी, यातायात व सामाजिक सहायता। यह सेवायें एक मान्यता प्राप्त वृद्ध सेवा प्रदाता द्वारा योजित व संयोजित की जाती है। गृह में विस्तृत वृद्ध-देखभाल पैकेज के लिये योग्यता वृद्ध-देखभाल आकलन टीम द्वारा निर्धारित की जाती है। (पन्ना 9 देखें)

Extended Aged Care at Home Packages Dementia (EACH D)

Extended Aged Care at Home Packages Dementia provide services to people living with dementia. The packages of services are flexible and designed to suit individual needs, and may include: nursing and allied health services, personal care (assistance with bathing, dressing and eating), home help (assistance with housework, laundry and shopping), transport and social support.

These Services are planned and coordinated by an approved aged care service provider. Eligibility for Extended Aged Care at Home Packages Dementia is determined by an *Aged Care Assessment Team* (see page 9).

For more information about Community Care and how to find a service that meets your needs, call the **Commonwealth Carelink Centre** on **1800 052 222**.

गृह में विस्तृत वृद्ध-देखभाल पैकेज मनोभ्रंश (Extended Aged Care at Home Packages Dementia - EACH D)

गृह में विस्तृत वृद्ध-देखभाल पैकेज मनोभ्रंश - मनोभ्रंश द्वारा ग्रसित लोगों को प्रदान की जाती है। सेवा के पैकेज अनुकूलनशील है व व्यक्तिगत आवश्यक्ताओं के उपयुक्त है। इनमें शामिल है: व्यक्तिगत देखभाल (नहाने, कपड़े पहनने व भोजन में सहायता), खाना बनाना, घरेलू कार्यों में सहायता (घर के काम, कपड़े धोने व खरीदारी में सहायता), बागवानी, यातायात व सामाजिक सहायता। यह सेवायें एक मान्यता प्राप्त वृद्ध सेवा प्रदाता द्वारा योजित व संयोजित की जाती है। गृह में विस्तृत वृद्ध-देखभाल पैकेज मनोभ्रंश के लिये योग्यता वृद्ध-देखभाल आकलन टीम द्वारा निर्धारित की जाती है। (पन्ना 9 देखें)

सामुदायिक देखभाल के बारे में अधिक जानकारी व आपकी आवश्यक्ता अनुसार उपयुक्त सेवा पता करने के लिये **कोमनवैल्थ केयरलिंक सैंटर** को **1800 052 222** पर संपर्क करें।

Respite Care

Respite Care is short-term care, which enables the older person and their carer to have a break from their normal routine. Many older people are cared for by family members at home. It is important that carers are supported in this valuable role, especially as many carers are themselves elderly. Respite Care supports the carer to have a break from their caring responsibilities, while also helping the older person to continue living at home.

Respite Care provides care services to the older person on a temporary basis, which enables the carer to rest, attend to other responsibilities (eg shopping), or to have a holiday. It is usually planned in advance, but may be arranged in an emergency (eg if the carer is unwell).

Respite care may also be accessed by older people who live on their own and feel unable to look after themselves and need a break. It can be provided in the older person's home, in day-care centres or in Residential Care. Respite Care is provided through Home and Community Care, the National Respite for Carers Program and Residential Care. Access to Respite Care is based on eligibility, priority and need.

For more information about Respite Care and other support services for carers, call the **Commonwealth Carers' Respite Centre** on **1800 059 059**.

अल्पकालीन देखभाल (Respite Care)

अल्पकालीन देखभाल कम समय की सेवा है, जो कि वृद्ध व्यक्ति व उनके सहायक को उनकी दिनचर्या से अवकाश लेने में मदद करती है। बहुत से वृद्ध लोगों की उनके अपने ही घर पर उनके परिवारजनों द्वारा सहायता की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि सहायकों की विशेष रूप से सहायता की जाये, क्योंकि अधिकतर सहायक स्वंय ही वृद्ध होते है। अल्पकालीन सेवायें न केवल सहायकों को जिम्मेदारियों से अवकाश देने में सहायता करती है बल्कि वृद्धों को घर पर ही जीवन यापन करने में भी सहायता प्रदान करती है। अल्पकालीन सेवायें वृद्धों की अस्थाई तौर पर सहायता प्रदान करती है, सहायक को जिम्मेदारियों से अवकाश लेने में सहायता करती है या दूसरी जिम्मेदारियों की ओर ध्यान देने योग्य करती है (जैसे कि खरीदारी) अथवा अवकाश लेने योग्य करती है। यह सधारणत: पहले से ही योजित किया जाता है परंतु आपातकालीन में भी व्यवस्थित की जा सकती है (जैसे कि सहायक के बीमार होने पर)। अल्पकालीन सेवायें उन लोगों द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है जो कि स्वंय अपने घर में रहते हैं और अपनी देखभाल करने में कठिनाई महसूस करते है अथवा अवकाश चाहते है। यह वृद्ध लोगों के घर में, दैनिक सहायता केन्द्र में अथवा वृद्धाश्रम में प्रदान की जा सकती है। अल्पकालीन सेवा गृह और सामुदायिक देखभाल द्वारा, राष्ट्रीय अल्पकालीन देखभाल कार्यक्रम व वृद्धाश्रम द्वारा प्रदान की जाती है। अल्पकालीन देखभाल का प्रयोग योग्यता, प्राथमिकता व आवश्यक्ता पर आधारित है।

अल्पकालीन देखभाल व सहायको के लिये उपलब्ध सेवाओं की अधिक जानकारी के लिये **कोमनवैल्थ केयरर रिसपाइट सैंटर** को **1800 059 059** पर संपर्क करें।

Residential Care

As an older person's level of frailty increases, it may no longer be an option for them to continue living in their own home and an aged care home may need to be considered. Aged care homes are also known as 'Residential Care'.

There are two types of Residential Care: low-level care and high-level care. Both levels of care provide a range of specified services, including: accommodation, basic furnishings, laundry, cleaning, meals and refreshments, staff to help at all times, personal care (assistance with bathing, dressing and eating), occasional nursing care and social activities.

High-level care is designed for people who are very frail, require 24-hour assistance and on-going nursing care. Some aged care homes provide low-level care and high-level care, enabling people to stay in the same home even if their care needs change. This is known as 'ageing in place'. Aged care homes are run by approved aged care service providers. Eligibility for Residential Care is determined by an *Aged Care Assessment Team* (see page 9).

For more information about Residential Care and how to find a home that meets your needs, call the **Commonwealth Carelink Centre** on **1800 052 222** or the **Aged Care Information Line** on **1800 500 853**.

वृद्धाश्रम देखभाल (Residential Care)

जब एक वृद्ध व्यक्ति बहुत अधिक दुर्बल हो जाता है तो उनके लिये अधिक समय तक अपने घर पर जीवन यापन करना एक विकल्प नही रहता व एक वृद्धाश्रम के बारे में विचार किया जा सकता है। वृद्ध देखभाल निवास को "वृद्धाश्रम देखभाल" से भी जाना जाता है। वृद्धाश्रम सेवा दो प्रकार की है: **निम्न-स्तर सेवा** व **उच्च-स्तर सेवा**। दोनों प्रकार के स्तर विभन्न प्रकार की निर्दिष्ट सेवायें प्रदान करते है, जिनमें निवास प्रबंध, मूल सजावट का समान, कपड़े धोना, सफाई, खाना व चाय-पानी, हर समय सहायता के लिये कर्मी, व्यक्तिगत सेवा (नहाने, कपड़े पहनने में व खाने में सहायता) कभी-कभी नर्सिंग में सहायता व सामाजिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। उच्च स्तर सेवा बहुत दुर्बल लोगों, जिनको 24 घण्टे सहायता व निरंतर नर्सिंग की आवश्यक्ता हो और देखभाल आवश्यक्ता में बदलाव आने के बावजूद घर रहने में समर्थ रहने के लिये बनाई गई है। इसे "एक स्थान में रहते आयु वृद्धि" भी कहा जाता है। वृद्धाश्रम मान्यता प्राप्त वृद्ध देखभाल प्रदाता द्वारा चलाये जाते है। वृद्धाश्रम देखभाल की योग्यता वृद्ध सेवा आकलन दल द्वारा निर्धारित की जाती है।

वद्धाश्रम देखभाल व आपकी आवश्यक्ता परिपरक वद्धाश्रम ढंढने के लिये **कोमनवैल्थ केयरलिंक सैंटर** को **1800 052 222** या **वृद्ध देखभाल सूचना हेतू 1800 500 853** पर संपर्क करें।

Additional Information

अतिरिक्त जानकारी

Aged Care Assessment Team (ACAT)

The first step in accessing most government-subsidised aged care services is to receive an assessment by the Aged Care Assessment Team (ACAT). Eligibility for Community Aged Care Packages, Extended Aged Care at Home Packages and Residential Care is determined by an ACAT assessment, which determines eligibility by assessing a person's needs.

This is a free and confidential service, and the process is not as daunting as it may sound. An ACAT representative (usually a doctor, nurse, social worker or other health care professional) will assess your situation and specific care needs.

You will be informed about the services you are eligible to receive and how to find a service that meets your needs. You may choose to have a relative or friend with you during the assessment. You also have the right to ask ACAT to provide an interpreter. If you are not satisfied with the outcome of the assessment, you have the right to appeal the decision.

To arrange an ACAT assessment, you can ask your doctor for a referral or call the Commonwealth Carelink Centre on 1800 052 222.

वृद्ध-देखभाल आकलन टीम (Aged Care Assessment Team-ACAT)

सरकार द्वारा सहायक वृद्ध-देखभाल सेवा का प्रयोग करने के लिये पहला कदम वृद्ध-देखभाल आकलन टीम (ACAT) द्वारा मूल्यांकन प्राप्त करना है। सामुदायिक वृद्ध-देखभाल पैकेज, गृह में विस्तृत वृद्ध-देखभाल पैकेज, वृद्धाश्रम देखभाल की योग्यता का निर्धारण वृद्ध-देखभाल आकलन टीम द्वारा किया जाता है, जो कि व्यक्ति की आवश्यक्ता के आकलन के अनुसार योग्यता निर्धारित करती है। यह एक निशुल्क व गोपनीय सेवा है और यह प्रक्रिया जितनी पेचीदा लग रही है उतना है नही। आकलन टीम का एक प्रतिनिधी (सधारणत: चिकित्सक, नर्स, समाज सेवक अथवा अन्य स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी) आपकी अवस्था व विशिष्ट सहायता आवश्यक्ता का आकलन करेगा। आप जिन सेवाओं को प्रयोग करने के योग्य है और आप अपनी आवश्यकतानुसार सेवा कैसे ढूढं सकते है के बारे में आपको बताया जायेगा। आप आकलन के दौरान अपने साथ सम्बन्धी या मित्र के होने का चुनाव कर सकते है। आपको वृद्ध-देखभाल आकलन टीम को अनुवादक के लिये पूछने का अधिकार भी है। अगर आप आकलन के परिणाम से संतुष्ट नही है तो आपके पास पुनरावेदन करने का भी अधिकार है। वृद्ध-देखभाल आकलन टीम द्वारा आकलन का प्रबन्ध करने के लिये आप अपने चिकित्सक को सिफारिश के लिये कह सकते है अथवा कोमनवैल्थ केयरलिंक सैंटर को 1800 052 222 पर संपर्क कर सकते है।

Fees & Charges

The cost of receiving aged care services is based on a person's assessed care needs and their ability to pay. Special consideration is given to people who are financially disadvantaged. It is important to know that you will not be denied access to a service if you are unable to pay. All people receive the same quality of care regardless of the level of fees paid. To find out more about fees and charges, contact the Aged and Community Care Information Line on 1800 500 853.

शुल्क व खर्च

वृद्ध देखभाल सेवाओं के उपयोग का मूल्य व्यक्ति की आकलित देखभाल आवश्यक्ताओं व उनके खर्च करने की योग्यता ऊपर आधारित है। आर्थिक रूप से निर्धन लोगों को विशेष ध्यान दिया जाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यदि यह सेवा आपकी पहुँच से बाहर है तो आपको सहायता से वंचित नहीं किया जायेगा। आपके शुल्क देने की क्षमता के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा एंव सभी को एक समान श्रेष्ठ देखभाल मिलेगी। शुल्क व खर्चो की अधिक जानकारी के लिये वृद्ध और सामुदायिक देखभाल सूचना केन्द्र को 1800 500 853 पर संपर्क करें।

Your Rights & Responsibilities

Aged care service providers are obliged to inform you of your rights and responsibilities regarding the services you are receiving. Whether you are receiving Residential Care or Community Care, it is important to be aware of your rights, which include the right to:

- Be informed about your rights;
- Be involved and informed about all decisions related to your care;
- Be in charge of your life, your money and your possessions;
- Be treated with dignity and respect;
- Continue your cultural or religious practices and retain the language of your choice without discrimination;
- Good quality care that meets your needs;
- Complain and take steps to sort out any problems;
- Privacy.

आपके अधिकार व जिम्मेदारियां :

वृद्ध देखभाल सहायता प्रदाता आपके द्वारा प्रयोग की गई सेवा के बारे में आपके अधिकार व जिम्मेदारियां बताने के बारे कृतज्ञ है। चाहे आप वृद्धाश्रम देखभाल या सामुदायिक देखभाल प्राप्त कर रहे है, आपको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, जिनमें शामिल है:-

- अपने अधिकारो के बारे में सूचित रहने का
- अपनी देखभाल से जुडे हुये निर्णयों में सम्मलित होने का और जानकारी रखने का अधिकार
- अपने जीवन, धन व सम्पति का प्रभारी होने का अधिकार
- सम्मान व आदर के साथ व्यवहार किये जाने का अधिकार
- बिना किसी भेदभाव के अपनी सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियो के पालन करने का व भाषा के प्रयोग का अधिकार
- अपनी आवश्यक्ता परिपूरक देखभाल का अधिकार
- किसी भी समस्या को हल करने के लिये कदम उठाने व शिकायत करने का अधिकार
- गोपनीयता का अधिकार

For more information about your rights and responsibilities regarding aged care services, contact the National Aged Care Advocacy Line on 1800 700 600.

वृद्ध देखभाल सेवा से सम्बन्धित अपने अधिकारो व जिम्मेदारियो के बारे में अधिक जानकारी के लिये राष्ट्रिय वृद्ध देखभाल वकालत सेवा को 1800 700 600 पर संपर्क करें।

Concerns and Complaints

If you have a concern or complaint about the quality of care or services you are receiving, you may like to discuss this with the Manager of the aged care service. If you are uncomfortable doing this, or you do not like how your complaint has been handled, you can contact the Aged Care Complaints Investigation Scheme on 1800 550 552. This is a free and confidential service.

सुझाव व शिकायतें

यदि आपको उपलब्ध सेवा व सहायता की उत्कृष्टता के बारे में कोई सुझाव अथवा शिकायत है तो आप इसके बारे में वृद्ध देखभाल सेवा के प्रबंधक के साथ विचार कर सकते है। यदि आप ऐसा करने में असुविधाजनक महसूस करते है अथवा आप अपनी शिकायत पर कार्यवाही को पसंद नहीं करते तो आप वृद्ध सेवा सहायता शिकायत जांचपड़ताल योजना को 1800 550 552 पर संपर्क कर सकते है। यह निशुल्क व गोपनीय सेवा है।

Useful Contact Numbers

उपयोगी संपर्क नम्बर

If you need an interpreter to help you to communicate over the phone, call the **Translating and Interpreting Service** on **13 14 50**. This is a free service.

अगर आपको फोन पर बातचीत में सहायता करने के लिये दूभाषिये की आवश्यक्ता है तो **अनुवादक व दूभाषिया सेवा** को **13 14 50** पर संपर्क करें। यह एक निशुल्क सेवा है।

Note that calls to numbers beginning with ‘1800’ are free, except when made from mobile phones.

कृप्या नोट करें कि ‘1800’ से शुरू होने वाले नम्बर पर संपर्क निशुल्क है मोबाइल फोन की कॉलस को छोड़कर।

Aged Care Complaints Investigation Scheme: 1800 550 552

The Aged Care Complaints Investigation Scheme investigates complaints and concerns about government-subsidised aged care services, including community care, respite care and residential care. Contact the Aged Care Complaints Investigation Scheme if you have a concern or complaint about the services you are receiving. Complaints can be made anonymously. This is a free service.

वृद्ध देखभाल शिकायत जांच पड़ताल योजना: 1800 550 552

सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त वृद्ध देखभाल सेवाएं, जिनमें सामुदायिक देखभाल, अल्पकालीन देखभाल, वृद्धाश्रम देखभाल सम्मिलित है के बारे में सुझाव व शिकायतो की वृद्ध देखभाल शिकायत जांच पड़ताल योजना द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। अगर आपको मिलने वाली सहायता के बारे में सुझाव व शिकायत है तो वृद्ध देखभाल शिकायत जांच पड़ताल योजना को संपर्क करें। शिकायत गोपनीय ढंग से की जा सकती है। यह एक नि:शुल्क सेवा है।

Aged Care Information Line: 1800 500 853

The Aged Care Information Line provides information about aged care services, including information on fees and charges, incoming testing and financial assistance.

वृद्ध देखभाल सूचना हेतू : 1800 500 853

वृद्ध देखभाल सूचना वृद्धावस्था में देखभाल के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिसमें शुल्क व खर्चों के बारे में, आय परीक्षा व वित्तिय सहायता की जानकारी सम्मिलित है।

Centrelink - Disability, Sickness and Carers: 13 27 17

Call this number for disability, sickness and carer enquiries, including Disability Support Pension, Mobility Allowance, Carer Payment, Carer Allowance and Sickness Allowance.

सैंटरलिंक - विकलांगता, रोग व सहायक : 13 27 17

इस नम्बर पर विकलांगता, रोग व सहायकों से सम्बन्धित जानकारी के लिये सम्पर्क करें इनमें विकलांगता सहायता, पैंशन, गतिशीलता भत्ता, सहायक अदायगी, सहायक भत्ता व रोग भत्ता शामिल है।

Centrelink - Multilingual Call: 13 12 02

Call this number to speak to Centrelink employees in your preferred language.

सैंटरलिंक – बहुभाषिय फोन नम्बर : 13 12 02

सैंटरलिंक के कार्यकर्ताओं से अपनी भाषा मे बात करने के लिये इस नम्बर पर संपर्क करे।

Centrelink - Retirement Services: 13 23 00

Call this number for retirement enquiries, including Age Pension, Pensioner Concession Cards, Commonwealth Seniors Health Card, and for enquiries regarding income assessment for residential care fees. You can also call this number to access Centrelink's Financial Information Service, which is a free and independent service available to everyone in the community (even if you are not receiving a pension or benefit).

सैंटरलिंक - सेवापरांत सेवाएं: 13 23 00

सेवानिवृत पूछताछ जिसमें सम्मिलित है वृद्ध पैंशन, सेवानिवृत रियायत कार्ड, कोमनवैल्थ वरिष्ठ स्वास्थ्य रियायत कार्ड और वृद्धाश्रम देखभाल शुल्क सम्बन्धित पूछताछ के लिये इस नम्बर पर संम्पर्क करें। आप इस नम्बर पर सैंटरलिंक की वित्तिय जानकारी सेवा के लिये भी संपर्क कर सकते है जो कि समाज में सभी के लिये (यद्यपि आप पैंशन या भत्ता नहीं भी प्राप्त कर रहे है) निशुल्क व स्वतंत्र सेवा है।

Commonwealth Carelink Centre: 1800 052 222

The Commonwealth Carelink Centre provides a single point of contact for information about aged care services. Contact the Commonwealth Carelink Centre to find out what aged care services are available in your area or anywhere in Australia, as well as information on costs, assessment procedures and eligibility criteria. This is a free and confidential service.

कोमनवैल्थ केयरलिंक सैंटर: 1800 052 222

कोमनवैल्थ केयरलिंक सैंटर वृद्ध देखभाल सहायता की जानकारी के लिये एकमात्र स्थान प्रदान करता है। आपके क्षेत्र में या ऑस्ट्रेलिया-भर में कहीं भी कौन-कौन सी वृद्ध देखभाल सेवाएं उपलब्ध है के बारे मे पता लगाने के लिये और इसके साथ ही फीस की जानकारी के लिये, आकलन कार्यप्रणाली, योग्यता मापदंड के लिये कोमनवैल्थ केयरलिंक सैंटर को संपर्क करें। यह एक निशुल्क व गोपनीय सेवा है।

Commonwealth Carers' Respite Centre: 1800 059 059

The Commonwealth Carer Respite Centre coordinates access to respite services in your local area, provides information and advice about respite options, help with organising emergency or planned respite, and financial assistance for short-term or emergency respite. This is a 24-hour service.

कोमनवैल्थ सहायक अल्पकालीन सहायता केन्द्र: 1800 059 059

कोमनवैल्थ सहायक अल्पकालीन सहायता केन्द्र आपके स्थानीय क्षेत्र मे अल्पकालीन सेवाओं की उपलब्धता का संयोजन करता है, अल्पकालीन सेवाओं के विकल्पों के बारे में जानकारी व परामर्श देता है, आपातकालीन व नियोजित सेवा की व्यवस्था में सहायता करता है व कम समय अथवा आपातकालीन सहायता के लिये वित्तिय सहायता प्रदान करता है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है।

National Aged Care Advocacy Line: 1800 700 600

Contact the National Aged Care Advocacy Line to find your local advocacy service. Advocacy services help to promote your rights in relation to aged care services and can increase your involvement in decision-making processes. These services may play an important role in supporting you through a complaint process and advising you of your 5 rights in negotiations with aged care service providers. This is a free and confidential service.

राष्ट्रीय वृद्ध देखभाल वकालत हेतू: 1800 700 600

अपनी स्थानीय वकालत सेवा के बारे में पता लगाने के लिये राष्ट्रीय वृद्ध देखभाल वकालत को संपर्क करे। वकालत सेवायें वृद्ध देखभाल सहायता से सम्बन्धित आपके अधिकारों को बढ़ावा देने मे सहायता करती है व निर्णायक कार्यप्रणाली में आपके योगदान को बढ़ा सकती है। ये सेवाएं शिकायत प्रणाली में आपका साथ देने मे और वृद्ध देखभाल सेवा प्रदाता से बातचीत करने में, आपके अधिकारों के बारे में व आपकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक निशुल्क व गोपनीय सहायता है।

National Dementia Helpline: 1800 100 500

The National Dementia Helpline is a 24-hour national telephone and support service run by Alzheimer's Australia. It provides support, practical information and advice, as well as information on the full range of services provided by Alzheimer's Australia. This is a free and confidential service.

राष्ट्रीय मनोभ्रंश हैल्पलाईन: 1800 100 500

राष्ट्रीय मनोभ्रंश हैल्पलाईन द्वारा स्वचालित 24 घण्टे राष्ट्रीय दूरभाष व सहायता सेवा है जो कि अल्जाइमर ऑस्ट्रेलिया द्वारा चलाई जाती है। यह सहायता, वास्तविक जानकारी व परामर्श प्रदान करती है और इसके साथ ही अल्जाइमर ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। यह एक निशुल्क व गोपनीय सहायता है।